

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा  
अतारांकित प्रश्न संख्या. 4069  
(सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

स्थानीय शिकायत निवारण हेल्पडेस्क

**4069. श्री प्रवीन खंडेलवाल:**

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का कारपोरेट फाइलिंग और अनुपालन संबंधी शिकायतों के संबंध में छोटे शेयरधारकों, निदेशकों अथवा प्रवर्तकों की सहायता करने के लिए दिल्ली में कोई क्षेत्रीय या स्थानीय हेल्पडेस्क स्थापित करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो ऐसे तंत्र के लिए क्या समय-सीमा है; और
- (ग) विगत दो वर्षों में एमसीए पोर्टल संबंधी समस्याओं या फाइलिंग संबंधी कठिनाइयों के संबंध में दिल्ली से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क) और (ख): एमसीए21 पोर्टल पर हितधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए एक हेल्पडेस्क स्थापित किया गया है। यह सहायता तंत्र एमसीए वेबसाइट और एक टोल-फ्री नम्बर के माध्यम से परिचालित किया जाता है जिससे दिल्ली सहित विभिन्न स्थानों पर हितधारकों के लिए निर्बाध पहुंच सुनिश्चित की जाती है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली के निवासियों के लिए, कंपनी रजिस्ट्रार (आरओसी) का कार्यालय एक सार्वजनिक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है जो सीधे प्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान करता है और विभिन्न कारपोरेट सेवाओं को सुगम बनाता है।

(ग): हितधारकों द्वारा यथा प्रस्तुत आरोपी दिल्ली कार्यालय से संबंधित तकनीकी शिकायतों की संख्या वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11,648 थी जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यह संख्या 34,924 थी।

\*\*\*\*\*